

28.5.24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दज राजस्टर रक्या जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 6-6-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

6-6-24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाफ्त किये गये। विपक्षीगण को पत्की वार कंक-कंक 82 क्षावाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का क्षण्ड दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्र-पत्र रचीकुर दिया जाकर निर्णय पत्रक से प्रिखा जाकर शाफ्त किया गया। पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पैठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस

कदमा संख्या - 204/24 प्र प्र

- श्रीमती कमला प/0 बी. तेली किरिया तहसील माण्डल जिला

प्राथ

बनाम

- श्री जगदीश प/0 श्री गणेश दरोगा गिवासी किरिया तहसील माण्डल जिला (संबन्धित प्र. पत्र संख्या)

13/2/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक- 06/06/24

::आदेशः

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निर्दिष्ट विषय का नाम किरिया पटवार हत्का किरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 3418/2429 कुल किता 01 रकबा 0-50-59 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि 5 विपक्षीयों के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा सद्यो विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28-5-24 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को उपलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राथी किरिया पटवार हत्का किरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 3418/2429 कुल किता 01 रकबा 0-50-59 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमगरी को 500 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाये। फसल लड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जाये।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

नोटिसिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा